कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम म.प्र.

क्रमांक. / स्था.3 / **MS Sports** / मा.शि.नियोजन / 2026 / 964 नर्मदापुरम, दिनांक 03.07.2026

/ /आदेश/ /

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय–समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर **खेल** विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है–

SN	ROLL NO	RANK	NAME AND F/H NAME	ADDRESS	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	6002250639496	32	RASHID SHAH F/H Name- SAHEED SHAH	75 SHASHTRI WARD PURANI BASTI PIPARIYA HBD MADHYA PRADESH 461775	OBC	OBC/X/OP	DISE-23370615508 GOVT SANDIPANI HSS RNA PIPARIYA	Narmadapuram
2	6003250642701	35	LALIT SHARMA F/H Name- MAHENDRA PAL SHARMA	65 LINE NO 10 BIRLA NAGAR GWALIOR GWL MADHYA PRADESH 474004	EWS	EWS/X/OP	DISE-23370310807 GOVT SANDIPANI HSS ITARSI	Narmadapuram
3	6007250661034	212	MINAKSHI CHOUHAN F/H Name- KOMAL SINGH CHOUHAN	45 SARDAR MOHALLA NEEMUCH CITY NEEMUCH NEM MADHYA PRADESH 458441	UR	UR/X/F	DISE-23370311806 GHSS GIRLS HOSHANGABAD(1 to 12)	Narmadapuram
4	6004250695616	234	PRASHANT ARYA F/H Name- HANSRAJ ARYA	40/1 AZAD NAGAR MUSAKHEDI MAIN ROAD INDORE IND MADHYA PRADESH 452001	SC	SC/X/OP	DISE-23360117410 GHSS GIRLS HARDA(6 to 12)	Harda
5	6004250664443	238	RAJKUMAR F/H Name- JEEVAN LAL	BEHIND BHOLARAM BHARTI HOUSE SHANKARGARH MAKRONIYA SAGAR SAG MADHYA PRADESH 470004	SC	SC/X/OP	DISE-23370615618 GOVT SANDIPANI HSS PACHMARHI	Narmadapuram
6	6006250637620	266	KAILASH F/H Name- IDLA	MAKAN NO 05 SALAI RURAL KHANDWA KHD MADHYA PRADESH 450001	ST	ST/X/OP	DISE-23360316410 GOVT SANDIPANI HSS KHIRKIYA	Harda
7	6005250696079	273	MANJU SARATHE F/H Name- SHALAK RAM SARATHE	MAKAN NO 248/3 WARD NO 13 KUDIYA MOHALLA PIPARIYA HBD MADHYA PRADESH 461775	OBC	UR/X/F	DISE-23370507338 GOVT SANDIPANI HSS SOHAGPUR	Narmadapuram
8	6002250701426	274	SOHAN MALVIYA F/H Name- KAMAL KISHOR MALVIYA	H N 165 KESLA POST KESLA BLOCK KESLA ITARSI HBD MADHYA PRADESH 461111	OBC	GF/OBC/X/OP	DISE-23370306306 GOVT SANDIPANI HSS AGRICULTURE PAWARKHEDA	Narmadapuram
9	6002250764182	401	SUMIT PATEL F/H Name- HARI PATEL	WARD NO 4 MANGALWARA NARMADAPURAM NARMADAPURAM NARMADAPURAM HBD MADHYA PRADESH 461001	EWS	GF/UR/X/OP	DISE-23370710048 GOVT SANDIPANI HSS SEONI MALWA	Narmadapuram

10	6002250660475	463	DEEPIKA NAGAR F/H Name- SURAJMAL NAGAR	JR MIG D 156 HOUSING BOARD COLONY NEHRU NAGAR HUZUR BHP MADHYA PRADESH 462003	OBC	OBC/X/F	DISE-23350101230 GOVT SANDIPANI HSS AMLA	Betul
11	6002250770974	592	DIKSHA YADAV F/H Name- SUDHEER	WARD NO 03 KHILLIKHEDA OBEDULLAGANJ GOHARGANJ RSN MADHYA PRADESH 464993	OBC	UR/X/F	DISE-23370100119 PMShri-GHSS GIRLS BANKHEDI(6 to 12)	Narmadapuram
12	6013250699568	662	VIMLA PARMAR F/H Name- GORELAL SINGH PARMAR	383 AMBIKA BAZAR SHUJALPUR MANDI SHUJALPUR SJP MADHYA PRADESH 465333	OBC	UR/X/F	DISE-23360104906 GOVT SANDIPANI HSS ABGAONKALA	Harda
13	6002250715851	709	MEETHU F/H Name- SIDDHARTH	H NO 8/K GRAMPANCHYAT AMDOH POST BATKIDOH GHODADONGRI BET MADHYA PRADESH 460440	EWS	UR/X/F	DISE-23350814601 GOVT SANDIPANI HSS MULTAI	Betul
14	6002250631871	813	PUNIT SANTORE F/H Name- R C SANTORE	WARD NO 27 SAILANI BABA DARGAH KE PASS BHEELPURA HOSHANGABAD HBD MADHYA PRADESH 461001	ST	ST/X/OP	DISE-23370710050 PMShri-GHSS GIRLS SEONIMALWA(1 to 12)	Narmadapuram
15	6002250632672	959	MINEE CHANDSURE F/H Name- RAMDAS CHANDSURE	WARD NO 14 TIMARNI TIMARNI TIMARNI HRD MADHYA PRADESH 461228	SC	SC/X/F	DISE-23360202505 GOVT SANDIPANI HSS KARTANA	Harda
16	6004250661692	1035	KAMLA LAVISKAR F/H Name- SUKHRAM	1 GRAM DHANSAI POST KESLA TEH ITARSI HBD MADHYA PRADESH 461111	ST	ST/X/F	DISE-23370605915 PMShri-GHS HATWAS (1 to 10)	Narmadapuram

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 9300–34800 + 3200 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–8 में तत्स्थानी वेतनमान 32800–103600 के न्यूनतम वेतन रूपये 32800/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से

जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें। दस्तावेजो की सूची निम्नानुसार हैः–

I. नियुक्ति आदेश
II. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई–मेल एड्रेस
III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)
IV. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
V. मूल निवासी प्रमाण पत्र
VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
VII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी दस्तावेज।
X. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।
XI. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का C प्रमाणपत्र
XII. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
XIII. अन्य पिछडा वर्ग *अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नही आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट– 1)
XIV. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट– 2)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजो के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति मे सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

विशेष टीपः– यदि चरित्र /जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता/शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

3.7.2026

संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग
नर्मदापुरम

पृ. क्रमांक./स्था.3/MS Sports/मा.शि.नियोजन/2026/965 नर्मदापुरम, दिनांक 03.07.2026

प्रतिलिपिः–

01. विशेष सहायक, माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
03. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
04. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश।
05. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
06. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
07. संभागायुक्त नर्मदापुरम मध्यप्रदेश ।
08. कलेक्टर जिला नर्मदापुरम/हरदा/बैतूल, मध्यप्रदेश ।
09. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी नर्मदापुरम/हरदा/बैतूल, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी, म.प्र ।
11. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य अपनी उपस्थिति देवें।

3.7.2026

संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग
नर्मदापुरम